

फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी नाथद्वारा, जिला राजसमन्द (राज.)

प्रार्थी:- सुरेश सिंह विपक्षी:- सुरेश चन्द

किस्म मुकदमा:- वाड पत्रावली संख्या: 175/17 पद

दिनांक	कार्यवाहिक विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
<p>१ १६</p>	<p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। प्रतिवादीगण/विपक्षीगण/—रेस्पोडेण्ट की तलबी जरिये सम्मन/नोटिस की जाकर पत्रावली दिनांक ३-१-१८ को पेश हो।</p> <p>आदिवासी वार्ड उपस्थित/ उरिवारी सं ५,६ एवं उपस्थित/ उरिवारी सं ५,६ द्वारा जवाब दिए एवं दस्तावेज पेश किए गए। उरिवारी सं १,२ की ओर से भी उरिवारी पेश की गई। एड. एवं उरिवारी सं ८ से १० की ओर से भी मनमोहन पांडेवाल एवं द्वारा वकालत पत्र पेश किए गए।</p> <p>आदिवासी उरिवारी सं १,२ द्वारा उरिवारी पत्र अन्तर्गत आदेश न मिला ॥ एवं सपठित धारा १५१ जारी पेश किए गए। नवल आदिवासी वार्ड की उरिवारी गरी। आदिवासी वार्ड जवाब उरिवारी पत्र पेश करने हेतु आदेश जारी है।</p> <p>उप उरिवारीगण की तलबी हेतु जारी समन अग्रिम/ उरिवारी पत्र जारी पत्रावली वार्ड तलबी एवं जवाब उरिवारी पत्र हेतु दिनांक २०.०३.१८ की पेशदारी है।</p>	<p>ला सी</p> <p>विजय लाल उरिवारी प उरिवारी ५</p>

20-3-18 भाईवक्ता वादी उपास्थित। प्रतिवादी सं. 1 वर  
 8. है। 10 के भाईवक्ता उपास्थित। प्रतिवादी सं. 5 वर  
 सं. 2 उपास्थित। सा. पत्र 0-7 R-11 CPC के जवाब  
 हेतु मतसर था। प्रतिवादी सं. 2 की मोर से परेकार  
 सं. 2 उपास्थित। प्रतिवादी सं. 8 से 11 वर मतसर  
 उपास्थित। प्रतिवादी सं. 3, 6, 7 की तलबी हेतु मतसर  
 पेश करें। पतावली वास्ते जवाब सं. 2 ना वर  
 तलबी हेतु दिनांक 14-5-18 का पेश हो।

30/5  
 अ. 10/18  
 14-5-18

पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकारी  
 महोदय अबकाश में है/राजकीय भ्रमण पर है।  
 अतः पत्रावली दि. 13-8-18 को पेश हो।

24-5-18 पत्रावली में पक्षकारान को राजस्व लोक-  
 अदालत/केम्प कोर्ट में सुनवाई हेतु नोटिस  
 जारी होकर पत्रावली दि. 15-6-18 को  
 कोर्ट केम्प... पेश हो।

15-6-18 पत्रावली राजस्व अदालत अभियान: न्याय  
 आपके द्वार-2018 कोर्ट केम्प...  
 पेश हुई। वादी/प्रतिवादी उपस्थित/नहीं।  
 प्रकरण में राजीनामा नहीं होने से प्रकरण  
 मेरिट पर निस्तारण हेतु पूर्व आदेश की  
 पालना में दिनांक 13-8-18 को पेश है।

13-8-18 भाईवक्ता वादी उपास्थित। प्रतिवादी सं. 1 वर  
 8. है। 10 के भाईवक्ता उपास्थित। सा. पत्र 0-7 R-11  
 CPC के जवाब हेतु मतसर था। प्रतिवादी सं. 12, 13  
 की मोर से परेकार सरकार उपास्थित। प्रतिवादी सं.  
 4, 5 की मोर से भ्रमण कोई उपास्थित नहीं मतसर: उनके  
 एररुड कार्यावाही कर तरफा की जाती है। प्रतिवादी  
 सं. 3, 6, 7 की तलबी हेतु मतसर पेश करें।  
 पतावली वास्ते जवाब सा. पत्र सं. 2 तलबी हेतु  
 दिनांक 9-10-18 का पेश हो।

9.10.18

पत्रावली प्रस्तुत हुई/आज पीठासीन अधिकारी  
 महोदय अबकाश में है/राजकीय भ्रमण पर है।  
 अतः पत्रावली दि. 22-1-18 को पेश हो।

# फर्द अहकाम

कार्यालय .....  
 प्रार्थी ..... विपक्षी .....  
 किरम मुकदमा ..... पत्रावली संख्या ..... पद .....

क्रमांक	कार्यवाहिक वितरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गईं
22-4-19	<p>आधिकारिता वादी उपस्थित। प्रतिवादी सं० 1, 2, 8 से 10 के आधिकारिता उपस्थित। प्रतिवादी सं० 12, 17 की गैरसे प्रेशेकार सरकार उपस्थित।                      ला० पत्र 0-7, R-11 CPC के अन्तर्गत हेतु मजसूर प्राप्त। अन्तिम मजसूर दिया जाता है। प्रतिवादी सं० 3, 6, 7 की तलबी हेतु सम्मन सोर्सज प्रज ही मजसूर करें। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 23-4-19 को मजसूर हो।</p>	
23-4-19	<p>पत्रावली प्रस्तुत/काम पीछे की ओर दिखती महोदय निर्वाण कार्या में चला है।                      अतः पत्रावली दि. 22-4-19 को देखा है।</p>	
30-5-19	<p>आ वादी जने वादी के आधिकारिता हेतु प्राथमिकता प्राप्त मिश्रण तलब करने प्रेशे करने से पत्रावली खींचे से तलब होकर मजसूर है।                      वादी जने वादी के आधिकारिता द्वारा प्राथमिकता प्राप्त वास्ते वाद विझी करने प्रेशे किया मिश्रण में निवेदन किया कि वाद में वादी के भाराजीयत के खण्ड में प्राथमिकता हेतु मजसूर समेत वाद को विझी कर वाद में प्राथमिकता कार्यवाही नहीं चलाना चाहता है।                      चूंकि वादी जने वादी के आधिकारिता हेतु वाद को विझी करना चाहते हैं अतः वाद विझी करने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली केवल शुभ्र होकर वास्तुतः इतर है।</p>	<p>23                      Validated by me                      Ch.</p>
	<p>सहायक कलक्टर                      (उपखण्ड अधिकारी)                      बाबदारा जिला राजसमण</p>	